प्रेषक,

राजीव कुमार, प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/ सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।

कार्मिक अनुभाग-2

लखनऊ, दिनांक: 17 जून, 2014

विषय :- उत्तर प्रदेश सेवा काल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों के सेवायोजन के सम्बन्ध में।

महोदय,

सरकारी सेवकों की सेवाकाल में मृत्यु हो जाने पर उनके आश्रितों को तात्कालिक आर्थिक संकट से उबारने हेतु ''उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली, 1974'' (यथासंशोधित) निर्गत की गयी है। उक्त नियमावली में मृतक आश्रित की नियुक्ति उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर के पदों एवं समूह 'ग' एवं 'घ' के पदों पर किये जाने की व्यवस्था है। इस नियमावली में अब तक ग्यारह संशोधन किये गये हैं। मूल नियमावली तथा अब तक किये गये ग्यारह संशोधन संलग्न किये जा रहे हैं।

- 2— मृतक आश्रित नियुक्ति के सम्बन्ध में योजित सिविल मिस. रिट याचिका संख्या—2228 (एस.एस) / 2014 प्रकाश अग्रवाल बनाम रिजस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में मा. उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ द्वारा पारित आदेश दिनांक 17.04. 2014 के प्रस्तर—49 में निम्नलिखित संवीक्षायें की गयी है:—
- "(a) Application should be disposed of within three months from the date dependent applies for a job. Under Rules no timelimit is prescribed but intent of the rule is to provide immediate relief to the family to meet immediate financial crisis{Shiv kumar Dubey (supra)}. In this background ,Appropriate Authority is supposed to dispose of such applications within a shortest possible time. In any case, application should not be kept pending for more than three months.
- (b) Appointment under the Rules cannot be refused merely on the ground that financial status of the applicant is sound. Nor payment of retiral benefits at the time of death, furnishes any ground for refusal.
  - (c) Non availability of posts is no ground to refuse appointment.
- (d) Appointment on Class III post can not be refused merely on the ground that deceased was Class III/IV employee.
- (e) Appointment has to be offered according to qualification and suitability of candidate and the applicant should be given an appointment commensurate therewith. If appointing authority does not give appointment

on the post claimed by applicant because of non-suitability, reasons have to

be recorded by the appointing authority.

(f) Dependent of deceased has no right to claim particular position or place and it is in the discretion of the appointing aurhority to pass appropriate order warranted in the facts and circumstances of the case."

3— इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मृत सरकारी सेवकों के आश्वितों की नियुक्ति के परिप्रेक्ष्य में मा. उच्च न्यायालय की उपर्युक्त संवीक्षओं का कृपया कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करे। संलग्नक—यथोपरि।

राजीव कुमार) प्रमुख सचिव।

# संख्या-6/12/73 /का-2/2014- टी.सी-IVतदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1) प्रमुख सचिव/ सचिव, मा. मुख्यमंत्री जी।

- 2) निजी सचिव, मा. मंत्रिगण को, मा. मंत्रिगण के सूचनार्थ।
- 3) निजी सचिव, मुख्य संचिव को मुख्य सचिव के सूचनार्थ।
- 4) प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।
- 5) प्रमुख सचिव, विधान परिषद्/ विधान सभा, उत्तर प्रदेश।
- 6) रजिस्ट्रार जनरल, मा. उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
- 7) समस्त मण्डलायुक्त / जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 8) समस्त विभागाध्यक्ष / प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
- 9) सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश।
- 10) सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- 11) निदेशक, सूचना, उत्तर प्रदेश।
- 12) वेब अधिकारी / वेब मास्टर, नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग, उ.प्र.शासन।
- 13) सचिवालय के समस्त अनुभाग।
- 14) गार्ड फाइल।

आज्ञा से, (अशोक कुमार श्रीवास्तव) संयुक्त सचिव।

#### उत्तर प्रदेश सरकार

#### नियुक्ति अनुभाग-4

### संख्या 6/12/1973/नियुक्ति-4 लखनंऊ, ७ अक्टूबर, 1974

#### अधिसूचना

भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का तथा तदर्थ समस्त अन्य समर्थकारी शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती को विनियमित करने के लिये निम्नलिखित विशेष नियमावली बनाते हैं।

उत्तर प्रदेश सेवा काल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली, 1974

- 1—(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की संक्षिप्त नाम भर्ती नियमावली, 1974 कहलायेगी। तथा प्रारम्भ
  - (2) यह 21 दिसम्बर, 1973 से प्रवृत्त हुई समझी जायेगी।

2-जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो इस नियमावली में--

परिभाषाएं

- (क) सरकारी सेवक का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के कार्यकलाप के संबंध में सेवायोजित ऐसे सरकारी सेवक से है जो—
  - (1) ऐसे सेवायोजन में स्थायी था : या
  - (2) यद्यपि अस्थायी है तथापि ऐसे सेवायोजनों में, नियमित रूप से नियुक्त किया गया था : या
  - (3) यद्यपि नियमित रूप से नियुक्त नहीं है तथापि ऐसे सेवायोजनों में नियमित रिक्ति में तीन वर्ष की निरन्तर सेवा की है।

स्पष्टीकरण:-''नियमित रूप से नियुक्ति'' का तात्पर्य यथास्थिति, पद पर या सेवा में भर्ती के लिए अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार नियुक्त किये जाने से है,

- (ख) 'मृत सरकारी सेवक' का तात्पर्य ऐसे सरकारी सेवक से है जिसकी मृत्यु सेवा में रहते हुए हो जाए,
  - (ग) 'कुटुम्ब' के अन्तर्गत मृत सरकारी सेवक के निम्नलिखित सम्बन्धी होंगे-
  - (1) पत्नी या पति,
  - (2) पुत्र,
  - (3) अविवाहित पुत्रियां तथा विधवा पुत्रियाँ
- (घ) 'कार्यालय का प्रधान' का तात्पर्य उस कार्यालय के प्रधान से है जिस कार्यालय में मृत सरकारी सेवक अपनी मृत्यु के पूर्व सेवारत था।

3-यह नियमावली उन सेवाओं और पदों को छोड़कर ज़ो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के क्षेत्रान्तर्गत आते हैं, उत्तर प्रदेश के कार्यकलाप से संबंधित लोक सेवाओ में और पदों पर मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती पर लागू होगी।

नियमावली का लागू किया जाना

4—इस नियमावली के प्रारम्भ होने के समय प्रवृत्त किन्हीं नियमों, विनियमों या आदेशों के अन्तर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते भी यह नियमावली तथा तद्धीन जारी किया गया कोई आदेश प्रभावी होगा।

इस नियमावली का अध्यारोही प्रभाव

5—यदि इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पश्चात् क़िसी सरकारी सेवक की सेवाकाल में मृत्यु हो जाय तो उसके कुटुम्ब के ऐसे एक सदस्य को जो केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के अथवा केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या उसके द्वारा नियंत्रित किसी निगम के अधीन पहले से सेवायोजित न हो, इस प्रयोजन के लिये आवेदन करने पर भर्ती के सामान्य नियमों को शिथिल करते हुये, सरकारी सेवा में उपयुक्त सेवायोजन प्रदान किया जायेगा जो राज्य लोक सेवा आयोग के क्षेत्रान्तर्गत न हो, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि वह सदस्य उस पद के लिये विहित शैक्षिक अर्हता रखता हो तथा वह अन्य प्रकार से भी सरकारी सेवा के लिये अर्ह हो। ऐसी नौकरी अविलम्ब और यथाशक्य उसी विभाग में दी जानी चाहिये। जिसमें मृत सरकारी सेवक अपनी मृत्यु के पूर्व सेवायोजित था।

मृतक के कूट्म्ब के किसी सदस्य सेवायोजन के लिये आवेदन पत्र की विषय वस्तु

6—इस नियमावली के लिये नियुक्ति के लिये आवेदन—पत्र जिस पद पर नियुक्त अभिलक्षित है, उस पद से सम्बन्धित नियुक्ति प्राधिकारी को सम्बोधित किया जायगा, किन्तु यह उस कार्यालय के प्रधान को भेजा जायेगा, जहां मृत सरकारी सेवक अपनी मृत्यु के पूर्व कार्य कर रहा था। आवेदन—पत्र में, अन्य बातों के साथ—साथ निम्नलिखित सूचना दी जायेगी:—

- (क) मृत सरकारी सेवक की मृत्यु का दिनांक, वह विभाग जहां और वह पद जिस पर वह अपनी मृत्यु के पूर्व कर रहा था,
- (ख) मृतक के कुटुम्ब के सदस्यों के नाम, उनकी आयु तथा अन्य ब्योरे विशेषतया उनके विवाह, सेवायोजन तथा आय संबंधी ब्योरे,
  - (ग) कुटुम्ब की वित्तीय दशा का ब्योरा, और,
  - (घ) आवेदक की शैक्षिक तथा अन्य अर्हताएं, यदि कोई हों।

प्रक्रिया जब कुटुम्ब के एकाधिक सदस्य सेवायोजन चाहते हों

आयु तथा अन्य अपेक्षाओं में शिथिलता 7—यदि मृत सरकारी सेवक के कुटुम्ब के एकाधिक सदस्य इस नियमावली के अधीन सेवायोजन चाहते हों तो कार्यालय का प्रधान सेवायोजित करने के लिये व्यक्ति की उपयुक्तता को विनिश्चित करेगा। समस्त कुटुम्ब, विशेषता उसके विधवा तथा अवस्थक सदस्यों के कल्याण के निमित्त उसके सम्पूर्ण हित को भी ध्यान में रखते हुये निर्णय लिया जायेगा।

- 8-(1) इस नियमावली के अधीन नियुक्ति चाहने वाले अभ्यर्थी की आयु नियुक्ति के समय अठारह वर्ष से कम नहीं होनी चाहिये।
- (2) चयन के लिये प्रक्रिया संबंधी अपेक्षाओं से, यथा लिखित परीक्षा या चयन सिमिति द्वारा साक्षात्कार से मुक्त कर दिया जायेगा किन्तु अभ्यर्थी पद विषेयक प्रत्याशित कार्य तथा दक्षता के न्यूनतम स्तर को बनाये रखेगा इस बात का समाधान करने के उद्देश्य से अभ्यर्थी का साक्षात्कार करने के लिये नियुक्ति प्राधिकारी स्वाधीन होगा।
- (3) इस नियमावली के अधीन कोई नियुक्ति केवल किसी विद्यमान रिक्ति के प्रति की जायेगी।

सामान्य अर्हताओं के संबंध में नियुक्ति प्राधिकारी का समाधान 9—किसी अभ्यर्थी को नियुक्त करने के पूर्व नियुक्ति प्राधिकारी अपना यह समाधान करेगा कि—

(क) अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा है कि वह सरकारी सेवा में सेवायोजन के लिये सभी प्रकार से उपयुक्त है,

टिप्पणी:—संघ सरकार या किसी राज्य सरकार अथवा केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या उसके द्वारा नियंत्रित किसी निगम द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में नियुक्ति के लिये पात्र नहीं समझे जायेंगे।

- (ख) वह मानसिक तथा शारीरिक रूप से स्वस्थ है और किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त हैं जिनके कारण उसके द्वारा अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की सम्भावना हो तथा इस बात के लिये अभ्यर्थी से उस मामले में लागू नियमों के अनुसार समुचित चिकित्सा प्राधिकारी के समक्ष उपस्थित होने और स्वास्थ्य का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जायगी।
- (ग) पुरुष अभ्यर्थी की दशा में, उसकी एक से अधिक पत्नी जीवित न हों और किसी महिला अभ्यर्थी की दशा में, उसने ऐसे व्यक्ति से विवाह न किया जो जिसकी पहले से ही एक पत्नी जीवित हो।

कठिनाइयो को दूर करने की शक्ति 10—राज्य सरकार, इस नियमावली के किसी उपबंध के कार्यान्वयन में किसी कठिनाई को (जिसके विद्यमान होने के बारे में वह एकमात्र निर्णायक हो) दूर करने के प्रयोजनार्थ कोई ऐसे सामान्य या विशेष आदेश दे सकती है जिसे वह उचित व्यवहार या लोकहित में आवश्यक या समीचीन समझे।

आज्ञा से, गुलाम हुसेन, आयुक्त एवं सचिव।

# उत्तर प्रदेश सरकार कार्मिक विभाग

अनुभाग—2 प्रकीर्ण

28 फरवरी, 1981 ई0

सं० 4/7–1979—कार्मिक—2—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं—

उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1981

1—संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ (1) यह नियमावली उ०प्र० सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1981 कही जायगी।

#### (2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

2—नये नियम 5—क का बढ़ाया जाना—उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली, 1974 में, नियम 5 के पश्चात् निम्नलिखित नियम बढ़ा दिया जायगा और सदैव से बढ़ाया गया समझा जायगा।

मई, 1973 में मृत पुलिस/पी०ए०सी० कार्मिकों के कुटुम्ब के सदस्य की भर्ती—

"5—क—नियम 5 या किसी अन्य नियम में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, इस नियमावली के उपबन्ध पुलिस या प्राविन्शियल आर्म्ड कान्सटेबुलरी के ऐसे बाईस कार्मिकों के, जिनकी मृत्यु मई, 1973 में हुए उपद्रव के परिणाम स्वरूप हुई थीं, कुटुम्ब के सदस्यों के मामले में उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार वे इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पश्चात् सेवाकाल में मृत सरकारी सेवक के मामले में लागू होते हैं।"

आज्ञा से, मोहन चन्द्र जोशी, सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 4/7/1979-Personnel-2, dated February 20, 1981:

टिप्पणी-राजपत्र दिनांक 27-2-82, भाग 1-क में प्रकाशित है। [प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित]

# No. 4/7/1979-Personnel–2 *February* 20, 1981

In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the Governor is pleased to make the following rules:

The Uttar Pradesh Recruitment of Dependents of Government Servants Dying in Harness (First Amendment) Rules, 1981

- 1. Short title and commencement— (1) These rules may be called the Uttar Pradesh Recruitment of Dependants of Government Servants Dying in Harness (First Amendment) Rules, 1981.
  - (2) They shall come into force at once.
- 2. Insertion of new rule 5-A.—In the Uttar Pradesh Recruitment of Dependants of Government Servants Dying in Harness Rules, 1974, after rule 5, the following rule shall be inserted and shall be deemed always to have been inserted:

"5-A. Recruitment of member of the family of Police/P.A.C. personnel, who died in May, 1973-Notwithstanding anything to the contrary contained in rule 5 or in any other rule, the provisions of these rules shall apply in the case of members of the family of twenty-two Police or Provincial Armed Constabulary personnel who died as a result of disturbances in May, 1973 as they apply in the case of a Government Servant dying in harness after the commencement of these rules.

By order,
MOHAN CHANDRA JOSHI,
Secretary.

# उत्तर प्रदेश सरकार कार्मिक अनुभाग-2

संख्या 6/12/1973—कार्मिक—2 लखनऊ, दिनांक 12 अगस्त, 1991

### अधिसूचना

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :--

> उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 1991

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1—(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश सेवांकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 1991 कही जाएगी।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

नियम—3 का प्रतिस्थापन

2— उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली, 1974 में, जिसे आगे उक्त नियमावली कहा गया है, नीचे स्तम्भ—1 में दिए गए नियम—3 के स्थान पर, नीचे स्तम्भ—2 में दिया गया नियम रख दिया जाएगा, अर्थात् :—

स्तम्भ<u>-1</u> वर्तमान नियम

नियमावली का लागू किया जाना वतमान नियम
3—यह नियमावली उन सेवाओं नियमावली और पदों को छोड़कर जो का लागू किया जाना के क्षेत्रान्तर्गत आते हैं, उत्तर प्रदेश के कार्य-कलाप से सम्बन्धित लोक सेवाओं में और पदों पर मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती पर लागू होगी।

स्तम्भ<u>-2</u> एतदद्वारा प्रतिस्थापित नियम

3—यह नियमावली उन सेवाओं और पदों को छोड़कर, जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के क्षेत्रान्तर्गत आते हैं या जो पूर्व में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के क्षेत्रान्तर्गत थे और कालान्तर में उन्हें उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के क्षेत्रान्तर्गत रख दिया गया है, उत्तर प्रदेश राज्य के कार्यकलाप से सम्बन्धित लोक सेवाओं में और पदों पर मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती पर लागू होंगे।

नियम–8 का संशोधन

3—उक्त नियमावली के नियम—8 में उप-नियम (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रख दिया जाएगा, अर्थात:—

"(3) इस नियमावली के अधीन कोई नियुक्ति विद्यमान रिक्ति में की जाएगी: प्रतिबन्ध यह है कि यदि कोई रिक्ति विद्यमान न हो, तो नियुक्ति तुरन्त किसी ऐसे अधिसंख्य पद के प्रति की जाएगी, जिसे इस प्रयोजन के लिए सृजित किया गया समझा जाएगा और जो तब तक चलेगा जब तक कोई रिक्ति उपलब्ध न हो जाय।"

आज्ञा से, ओ0पी0 आर्य, सचिव।

संख्या 6 / 12 / 1973(1) कार्मिक-2, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निग्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- . 1-समस्त मण्डलायुक्त एवं जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
  - 2-सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।
  - 3-सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
  - 4-निबन्धक, उच्च न्यायालय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद/लखनऊ।
- 5—आयुक्त, अनुसूचित जाति तथा जन जाति, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 6—निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 7—समस्त मंत्रियों के सूचनार्थ उनके निजी सचिव।
- 8-सचिवालय के समस्त अनुभाग।
- 9—सचिव, विधान सभा / विधान परिषद् उत्तर प्रदेश, लखनऊ

आज्ञा से, जय दयाल पुरी, संयुक्त सचिव।

In pursuance of the provision of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 6//XII/1973-Personnel-2, dated August 12, 1991:

#### GOVERNMENT OF UTTAR PRADESH

#### Personnel Section-2

No. 6/12/1973-Personnel-2 Dated Lucknow, August 12, 1991

#### NOTIFICATION

#### Miscellaneous

In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the Governor is pleased to make the following rules:-

#### THE UTTAR PRADESH RECRUITMENT OF DEPENDANTS OF GOVERNMENT DYING IN HARNESS(SECOND AMENDMENT) RULES, 1991.

1. (1) These rules may be called the Uttar Pradesh Recruitment of Dependants of Government Servants Dying in Harness (Second Amendment) Rules, 1991.

Short title and commencement

- (2) They shall come into force atonce.
- 2. In the Uttar Pradesh Recruitment of Dependants of Government Servants Dying in Harness Rules, 1974, hereinafter referred to as the said rules, for rule 3 set out in Column-1 below, the rule as set out in Column-2 below shall be substituted, namely:

Substitution rule 3

#### COLUMN-1

#### Existing rule

3. These rules shall apply to Application of the recruitment of dependants of the rules deceased Government servants to public services and posts in connection with the affairs of State of Uttar Pradesh, except services and posts which are within the purview of the Uttar Pradesh Public Service Commission.

3. These rules shall apply to Application of recruitment of dependants of the the rules deceased Government servants to public services and posts in connection with the affairs of State of Uttar Pradesh, except services and posts which are within the purview of the Uttar Pradesh Public Service Commission or were previously within the purview of the Uttar Pradesh Public Service Commission and have later on been placed within the purview of the Uttar Pradesh Subordinate Services Selection Commission.

Rule as hereby substituted

- 3. In rule 8 of the said rules for sub-rule (3), the following sub-rule shall be Amendment of substituted, namely:-
  - "(3) An appointment under these rules shall be made in the existing vacancy:

Provided that if no vacancy exists, the appointment shall be made forthwith against a supernumeraty post which shall be deemed to have been created for this purpose and which shall continue till a vacancy becomes available.

By order.

rule 8

O. F. ARYA.

Sachiv.

# उत्तर प्रदेश शासन कार्मिक अनुभाग-2

## संख्या 6/12/73/कार्मिक-2/93 लखनऊ: दिनांक 16 अप्रैल, 1993

### अधिसूचना प्रकीर्ण

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली, 1974 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:—

# उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती (तृतीय संशोधन) नियमावली, 1993

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ 1—(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती (तृतीय संशोधन) नियमावली 1993 कही जायेगी।

#### (2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

नियम—5 का संशोधन 2—उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली, 1974 में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये नियम-5 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात:—

#### स्तम्भ—1 वर्तमान नियम

यदि इस नियमावली के प्रारम्भ होने के

मृतक के कुटुम्ब पश्चात् किसी के किसी सदस्य की भर्ती

की सेवाकाल में

मृत्यु हो जाय तो उसके कुटुम्ब के ऐसे एक सदस्य को जो केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के अथवा केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या उसके द्वारा नियंत्रित किसी निगम के अधीन पहले से सेवायोजित न हो, इस प्रयोजन के लिये आवेदन करने पर भर्ती के सामान्य नियमों को शिथिल करते हुये, सरकारी सेवा में उपयुक्त सेवायोजन प्रदान किया जायेगा जो राज्य लोक सेवा आयोग के क्षेत्रान्तर्गत न हों, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि वह सदस्य उस पद के लिये विहित शैक्षिक अईता रखता हो तथा वह अन्य प्रकार से भी सरकारी सेवा के लिये अर्ह हो। ऐसी नौकरी अविलम्ब और यथाशक्य उसी विभाग में दी जानी चाहिये जिसमें मृत सरकारी सेवक अपनी मृत्यु के पूर्व सेवायोजित था।

#### स्तम्भ—2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम

5-(1)यदि इस नियमावली के प्रारम्भ होने के

मृतक के कुटुम्ब पश्चात् किसी के किसी सदस्य की भर्ती संवक

की सेवाकाल में
मृत्यु हो जाय तो उसके कुटुम्ब के ऐसे एक
सदस्य को जो केन्द्रीय सरकार या राज्य
सरकार के अथवा केन्द्रीय सरकार या राज्य
सरकार के स्वामित्वाधीन या उसके द्वारा
नियंत्रित किसी निगम के अधीन पहले से
सेवायोजित न हो, इस प्रयोजन के लिये
आवेदन करने पर भर्ती के सामान्य नियमों
को शिथिल करते हुये, सरकारी सेवा में
उपयुक्त सेवायोजन प्रदान किया जायेगा जो
राज्य लोक सेवा आयोग के क्षेत्रान्तर्गत न
हो, यदि ऐसा व्यक्ति:—

- (एक) पद के लिये विदित शैक्षिक अर्हता रखता हो,
- (दो) अन्य प्रकार से सरकारी सेवा के लिये अर्ह हो, और
- (तीन) सरकारी सेवक की मृत्यु के दिनांक के पांच वर्ष के भीतर सेवायोजन के लिये आवेदन करता है:

स्तम्भ–1 वर्तमान नियम

#### स्तम्भ-2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम

परन्तु जहां राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि सेवायोजन के लिये आवेदन करने के लिये नियत समय से किसी विशिष्ट मामले में अनुचित कठिनाई होती है वहां वह अपेक्षाओं को जिन्हें वह मामले में न्याय-संगत और साम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिये आवश्यक समझे अभिमुक्त या शिथिल कर सकती है।

(2) ऐसी नौकरी यथाशक्य उसी विभाग में दी जानी चाहिये जिसमें मृत सरकारी सेवक अपनी मृत्यु के पूर्व सेवायोजित था।

> आज्ञा से, ओ0 पी0 आर्य, सचिव।

### संख्या 6/12/1973(1) का0-2-93, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1—समस्त मण्डलायुक्त एवं जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 2-सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।
- 3-सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- 4--निबन्धक, उच्च न्यायालय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद/लखनऊ।
- 5-आयुक्त, अनुसूचित जाति तथा जनजाति, उ०प्र०, लखनऊ।
- 6--निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उ०प्र०, लखनऊ।
- 7—समस्त सलाहकारों के. सूचनार्थ उनके निजी सचिव।
- 8-सचिवालय के समस्त अनुभाग।
- 9-सचिव, विधान सभा / विधान परिषद् उ०प्र०, लखनऊ।
- 10-समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उ०प्र०।

आज्ञा से, डा0 जी0 डी0 माहेश्वरी, संयुक्त सचिव।

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 6/12/1973-Personnel-2, dated April 15, 1993:

#### GOVERNMENT OF UTTAR PRADESH

Personnel Section-2 No. 6/12/1973-Personnel-2/93 Dated, Lucknow April 16, 1993

#### Miscellaneous

In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the Governor is pleased to make the following rules with a view to amending the Uttar Pradesh recruitment of Dependants of Government Servants Dying in Harness Rules, 1974:

#### THE UTTAR PRADESH RECRUITMENT OF DEPENDANTS OF GOVERNMENT SERVANTS DYING IN HARNESS (THIRD AMENDMENT) RULES, 1993

Short title and commencement

- 1. (1) These rules may be called the Uttar Pradesh Recruitment of depandants of Government Servants Dying in Harness (Third Amendment) Rules, 1993.
  - (2) They shall come into force at once.

Amedndment of rule 5

2. In the Uttar Pradesh Recruitment of Dependents of Government Servants Dying in Harness Rules, 1974, rules 5 set out in Column 1 below the rule as set out in Column 2 shall be *substituted*, namely:—

#### COLUMN-1 Existing rule

Recruitment of a member of the family of the deceased

In case a Government servant dies in harness after the commencement of those rules, one deceased member of his family who is not already employed under Central Government or a State. Government or a Corporation owned or controlled by the Central Government State or Government shall, on making an application for the purpose, be given a suitable employment in Government service which is not within the purview of the State Public Service Commission in relaxation of the normal recruitment rules, provided such member fulfils the educational qualification prescribed for the post a no is also otherwise qualified for Government service such employment should be given without delay and, as far as possible, in the same department in which the deceased Government servant was employed Prior to his

death.

Recruitment of a member of the family of the

#### COLUMN-2

#### Rule as hereby substituted

- 5.(1) In case a Government servant dies in harness after the commencement of those rules, one member of his family who is not already employed under the Central Government or a State Government or a Corporation owned or controlled Central by the Government or a State Government shall, on making an application for the purpose, by given a suitable employment Government in service which is not within the purview of the State Public Service Commission in relaxation of the normal recruitment rules, if such person-
- Fulfils the educational qualifications prescribed for the post,
- (ii) is otherwise qualified for Government service, and
- (iii) makes the application for employment within five years of date of death of the Government Servant:

COLUMN-1
Existing rule

#### COLUMN-2

Rule as hereby substituted

Provided that the where the State Government is satisfied that the time limit fixed for making the application for employment causes undue hardship in any particular case, it may dispense with or Relax the requirement as it may consider necessary for dealing with the case in a just and equitable manner.

(2) As far as possible, such an employment should be given in the same department in which the deceased Government Servant was employed prior to his death.

By order,
O.P. ARYA,

Sachiv.

# उत्तर प्रदेश सरकार कार्मिक अनुभाग-2

संख्या 6 / 12-73-का0-2-1994 लखनऊ, 21 अप्रैल, 1994

# अधिसूचन प्रकीर्ण

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली, 1974 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:—

# उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 1994

1—(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की संक्षिप्त नाम भर्ती (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 1994 कही जायेगी।

### (2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

2—उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली, नियम 5 के 1974 में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये नियम 5 के स्थान पर स्तम्भ 2 में दिया गया नियम रख संशोधन दिया जायेगा, अर्थात:—

"" On Warmile 2014 New Data 2.doc

#### स्तम्भ-1

#### वर्तमान नियम

मृतक के कुटुम्ब के किसी सदस्य की भर्ती

5—(1) यदि इस नियमावली के मृतक के कुटुम्ब के प्रारम्भ होने के पश्चात किसी सरकारी किसी सदस्य की सेवक की सेवाकाल में मृत्यु हो जाये तो उसके कुटुम्ब के ऐसे एक सदस्य को जो, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के अथवा केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या उसके द्वारा नियंत्रित किसी निगम के अधीन पहले से सेवायोजित न हो, इस प्रयोजन के लिये आवेदन करने पर भर्ती के सामान्य नियमों को शिथिल करते हुए, सरकारी सेवा में, उपयुक्त सेवायोजन प्रदान किया जायेगा जो राज्य लोक सेवा आयोग के क्षेत्रान्तर्गत न हो, यदि ऐसा व्यक्ति:-

- (एक) पद के लिए विहित शैक्षिक अर्हता रखता हो.
- (दो) अन्य प्रकार से सरकारी सेवा के लिये अर्ह हो, और
- (तीन) सरकारी सेवक की मृत्यु के दिनांक के पांच वर्ष के भीतर सेवायोजन के लिये आवेदन करता है:

परन्तु जहां राज्य सरकार का यह समाधान हो जाये कि सेवायोजन के लिये आवेदन करने के लिए नियत समय सीमा से किसी विशिष्ट मामले में अनुचित किनाई होती है वहां वह अपेक्षाओं को, जिन्हें वह मामले में न्यायसंगत और साम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिए आवश्यक समझे, अभिमुक्त या शिथिल कर सकती है।

(2) ऐसी नौकरी यथाशक्य उसी विभाग में दी जानी चाहिये जिसमें

#### स्तम्भ-2

एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम

5—(1) यदि इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पश्चात किसी सरकारी सेवक की सेवाकाल में मृत्यु हो जाये तो उसके कुटुम्ब के ऐसे एक सदस्य को जो, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के अथवा केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या उसके द्वारा नियंत्रित किसी निगम के अधीन पहले से सेवायोजित न हो, इस प्रयोजन के लिये आवेदन करने पर भर्ती के सामान्य नियमों को शिथिल करते हुए, सरकारी सेवा में, ऐसे पद को छोड़कर किसी पद पर उपयुक्त सेवायोजन प्रदान किया जायेगा जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के क्षेत्रान्तर्गत हो, या, जो पहले उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के क्षेत्रान्तर्गत था और उसे बाद में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के क्षेत्रान्तर्गत रख दिया गया है, यदि ऐसा व्यक्ति:-

- (एक) पद के लिए विहित शैक्षिक अर्हतायें पूरी करता हो,
- (दो) सरकारी सेवा के लिये अन्यथा अर्ह हो, और
- (तीन) सरकारी सेवक की मृत्यु के दिनांक से पांच वर्ष के भीतर सेवायोजन के लिये आवेदन करता है:

परन्तु जहां राज्य सरकार का यह समाधान हो जाये कि सेवायोजन के लिये आवेदन करने के लिये नियत समय सीमा से किसी विशिष्ट मामले से अनुचित किठनाई होती है, वहां वह अपेक्षाओं को, जिन्हें वह मामले में न्यायसंगत और साम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिए आवश्यक समझे अभिमुक्त या शिथिल कर सकती है।

(2) ऐसा सेवायोजन यथासम्भव उसी विभाग में दिया जाना चाहिये मृत सरकारी सेवक अपनी मृत्यु के पूर्व सेवायोजित था। जिसमें मृत सरकारी सेवक अपनी मृत्यु के पूर्व सेवायोजित था।

> आज्ञा से, आर0 बी0 भास्कर, सचिव।

### संख्या 6/12/73-का0-2-94(1) तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1-सगस्त मण्डलायुक्त एवं जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 2-सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।
- 3-सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- 4—निबन्धक, उच्च न्यायालय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद/लखनऊ।
- 5-आयुक्त, अनुसूचित जाति तथा जनजाति, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 6-निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 7-समस्त मंत्रियों के सूचनार्थ उनके निजी सचिव।
- 8-सचिवालय के समस्त अनुभाग।
- 9-सचिव, विधान सभा / विधान परिषद् उत्तर प्रदेश, लखनऊ।'

आज्ञा से, डा0 जी0 डी0 माहेश्वरी, विशेष सचिव।

IN pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 6/12/1973-Personnel-2/94, dated April 21, 1994:

GOVERNMENT OF UTTAR PRADESH
PERSONNEL SECTION-2

No. 6/12/1973-Personnel-2. Dated, Lucknow. April 21, 1994

#### NOTIFICATION

#### Miscellaneous

In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the Governor is pleased to make the following rules with a view to amending the Uttar Pradesh recruitment of Dependants of Government Servants Dying in Harness Rules, 1974:

# THE UTTAR PRADESH RECRUITMENT OF DEPENDANTS OF GOVERNMENT SERVANTS DYING IN HARNESS (FOURTH AMENDMENT) RULES, 1994

1. (1) These rules may be called the Uttar Pradesh Recruitment of dependants of Government Servants Dying in Harness (Fourth Amendment) Rules, 1994.

Short title and commencement

- (2) They shall come into force at once.
- 2. In the Uttar Pradesh Recruitment of Dependants of Government Servants

  Dying in Harness Rules, 1974 for rules 5 set out in Column 1 below the rule as set out in

  Column 2 shall be substituted, namely:—

  Amendment of rule 5

# COLUMN-1 Existing rule

Recruitment of a member of the family of the deceased

5. (1) In case a Government servant dies in harness after the commencement of these rules, one member of his family who is not employed already under Central Government or a State Government or a Corporation owned or controlled by the Central Government State or Government Shall on making an application for the purposes, be given a suitable employment in Government Service which is not within the purview of the State Public Service Commission is relaxation of the normal recruitment rules, if such person—

- (i) fulfils the educational qualification prescribed for the post,
- (ii) is otherwise qualified for Government service, and
- (iii) makes the application for employment within five years of the date of the death of the Government Servant:

Provided that the where the State Government is satisfied that the time limit fixed for making the application for employment causes undue hardship in any particular case, it may dispense with or Relax the requirement as it may consider necessary for dealing with the case in a just and equitable manner.

(2) As far as possible, such an employment should be given in the same department in which the deceased Government Servants was employed prior to his death.

Recruitment of a member of the family of the deceased

#### COLUMN-2

#### Rule as hereby substituted

- 5. (1) In case a Government servant dies in harness after the commencement of these rules one member of his family who is not already employed under the Central Government or a State Government Corporation owned or controlled the Central by Government or a State Government shall on making an application for the purposes, be given a suitable employment in the Government Service on a post except the post which in within the purview of the Uttar Pradesh Public Service Commission, or which was previously within the purview of the Uttar Pradesh Public Service Commission and has, later on, been placed within the perview of the Uttar Pradesh Subordinate Service Selection Commission, relaxation of the normal recruitment rules if such person-
- (i) fulfils the educational qualification prescribed for the post,
- (ii) is otherwise qualified for Government service, and
- (iii) makes the application for employment within five years from the date of the death of the Government Servant:

Provided that the where the State Government is satisfied that the time limit fixed for making the application for employment causes undue hardship in any particular case, it may dispense with or Relax the requirement as it may consider necessary for dealing with the case in a just and equitable manner.

(2) As far as possible, such an employment should be given in the same department in which the deceased Government Servants was employed prior to his death.

By order,
R.B. BHASKAR,

Sachiv.



रजिस्ट्रेशन नं0-एल०डब्लू०/एन०पी०-890 लाइसेन्स नं० डब्लू० पी०-41 लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

# सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

# उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

# असाधारण

विधायी परिशिष्ट भाग-4, खण्ड (क) (सामान्य परिनियम नियम)

लखनऊ, बुधवार, 20 जनवरी, 1999 पौष 30, 1920 शक सम्वत्

#### उत्तर प्रदेश सरकार

कार्मिक अनुभाग-2

संख्या 6/12-73-का0-2-1999 लखनऊ, 20 जनवरी, 1999

> अधिसूचना प्रकीर्ण

#### सा0प0नि0-27

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृह सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली, 1974 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित विधमावली बनाने हैं—

उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती (पांचवाँ सशोधन) नियमावली, 1999

1 (1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की संक्षिप्त नाम और भनी (पांचवाँ रांशोधन) नियमावली, 1999 कही जायेगी।

(२) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

No the property 4 of the Leec-differed.

वर्तमान सेवकों आश्रितो 石平 롸 भर्ती नियमावली, .2 में दिया गया

शक्षिक

सेवाकाल रा <u>स्तम्भ-2</u> रा प्रतिस्थापित नियम

좡

उपयुक्त अविदन यित्रित सरकार या राज्य सरकार या सरकार या राज्य सरकार के बाधीन या उसके द्वारा नियंत्रित सरकार या किसी राज्य के स्वामित्वाधीन या उसके यंत्रित किसी निगम के अधीन सेवायोजित न हो तो उसके के ऐसे एक सदस्य को जो, नियमो सेवायोजन प्रदान ।कया दि ऐसा व्यक्ति:-) पद के लिए विहित शैक्षिक सरकारी गे छोड़कर जो उत्तर प्रदेश आयोग के क्षेत्रान्तर्गत हो, सेवायोजन प्रदान किया यदि इस नियमावली के के पश्चात किसी सरकारी सेवाकाल में मृत्यु हो जाये किसी या या **≟** सेवा के अधीन हो, इस प्र करने पर शे सेवक का पति या सिथाति हो) केन्द्रीय भी राज्य सरकार या को शिथिल वा में किसी प पूर न पहले प्रयोजन भर्ता पद पूर् <del>3</del>|

(एक) अर्हताये ए

ते करता हो, सरकारी र हे हो, और सेवा <del>S</del>|-क्ये

सरकारी से पांच से पांच वर्ष के भीतर हैं लिये आवेदन करता हैं मिरी सेवक की पांच वर्ष के व भृत्य

अनुचित नन के लिप न्यु जहां राज्य सरकार नाधान हो जाये कि सेवायोज । आवेदन करने के लिये निय सीमा से किसी विशिष्ट मामत चेत कितनाई होती है वहां व भें को, जिन्हें वह मामले अभिमुक्त करने <del>S</del>| साम्यपूर्ण लिय शिथिल सरकार का के सेवायोजन हे लिये नियत वेशिष्ट मामले आवश्यक वह

में दिया सरकारी सेवायोजन, सेवक था। जान यथासम्भव चाहिए अपनी

सुधीर आज्ञा सचिव। कुमार,

IN pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 6/XII/73-Ka-2-99, dated January 20, 2006:

#### No. 6/XII/73-ka.-2-99

#### Lucknow dated. January 20, 1999

In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the Governor is pleased to make the following rules with a view to amending the Uttar Pradesh recruitment of Dependants of Government Servants Dying in Harness Rules, 1974:

#### THE UTTAR PRADESH RECRUITMENT OF DEPENDANTS OF GOVERNMENT SERVANTS DYING IN HARNESS (FIFTH AMENDMENT) RULES, 1999

Short title and commencement

- 1. (1) These rules may be called the Uttar Pradesh Recruitment of dependants of Government Servants Dying in Harness (Fifth Amendment) Rules, 1999.
  - (2) They shall come into force at once.

Substitution of rule 5

2. In the Uttar Pradesh Recruitment of Dependents of Government Servants Dying in Harness Rules, 1974 for existing rules 5 set out in Column 1 below the rule as set out in Column 2 shall be substituted, namely:-

#### COLUMN-1

#### Existing rule

Recruitment of a member of the family of the deceased.

- 5. (1) In case a Government Recruitment of a servant dies in harness after the commencement of these rules, one deceased. member of his family who is not already employed under Central Government or a State Government or a Corporation owned or Controlled by the Central Government or a State Government shall on making an application for the purposed, be given a suitable employment in Government Service on a post except the post which is within the purview of the Uttar Pradesh Public Service Commission or which was previously within the purview of the Uttar Pradesh Public Service Commission and has, later on, been placed within the purview of the Uttar Pradesh Subordinate Service Selection Commission in relaxation of the normal recruitment rules if such person-
- fulfils the educational qualifications prescribed for the post,
- (ii) is otherwise qualified for Government service, and
- (iii) makes the application for employment within five years from the date of the death of the Government Servant:

Provided that where the State Government is satisfied that the time limit fixed for making the application for employment causes undue hardship in any particular case, it may dispense with or

member of the family of the

#### COLUMN-2

Rule as hereby substituted

- 5. (1) In case a Government servant dies in harness after the commencement of these rules and the spouse of the deceased Government servant is not already employed under the Central government or a State Government a Corporation owned or Controlled by Central the State Government or Government, one member of his family who 18 already not employed under the Central Government or a State Government or a Corporation owned or controlled by : the Central Government or a State Government Shall, on making an application for the purposes, be given a suitable in Government employment Service on a post except the post which is within the purview of the Uttar Pradesh Public Service Commission, in relaxation of the normal recruitment rules if such person-
- fulfils the educational qualifications prescribed for the post,
- (ii) is otherwise qualified for Government service, and
- (iii) makes the application for employment within five years from the date of the death of the Government Servant:

Provided that where the State Government is satisfied that the time limit fixed for making the application for employment causes undue hardship in any particular case, it may dispense with or Relax

# COLUMN-1

Existing rule

Relax the requirement as it may consider necessary for dealing with the case in a just and equitable manner.

2. As for as possible, such an employment should be given in the same department in which the deceased Government servant was employed prior to his death.

#### COLUMN-2

Rule as hereby substituted

the requirement as it may consider necessary for dealing with the case in a just and equitable manner.

(2) As for as possible, such an employment should be given in the same department in which the deceased Covernment servant was employed prior to his death.

By order,
SUDHIR KUMAR,
Sachiv.



रजिस्ट्रेशन नं0-एल०डब्लू०/एन०पी०-890

लाइसेन्स नं० डब्लू० पी०-41

लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

# सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

# उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

# असाधारण

विधायी परिशिष्ट भाग-4, खण्ड (क) (सामान्य परिनियम नियम)

लखनऊ, शुक्रवार, 12 अक्टूबर, 2001 आश्विन 20, 1923 शक सम्वत्

## उत्तर प्रदेश सरकार

कार्मिक अनुभाग-2

संख्या 6/12-73-का0-2-2001 लखनऊ, 12 अक्टूबर, 2001

> अधिसूचना प्रकीर्ण

#### सा0प0नि0-36

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली, 1974 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:—

उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती (छटां संशोधन) नियमावली, 2001

- 1-- (1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की संक्षिप्त नाम गर्ती (छठा संशोधन) नियमावली, 2001 कही जायेगी।
  - (2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

The second of the same 14 19,600 date-2

नियम—2 का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली, 1974 में नियम —2 में नीचे स्तम्भ—1 में दिये गये वर्तमान खण्ड (ग) के स्थान पर स्तम्भ—2 में दिया गया खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात:—

स्तम्भ-1 वर्तमान खण्ड

(ग) 'कुटुम्ब'' के अन्तर्गत मृत सरकारी सेवक के निम्नलिखित सम्बन्धी होंगे:—

1--पत्नी या पति,

2—पुत्र, 3—अविवाहित पुत्रियां तथा विधवा पुत्रियां। स्तम्भ-2 एतदद्वारा प्रतिस्थापित खण्ड

(ग) ''कुटुम्ब'' के अन्तर्गत मृत सरकारी सेवक के निम्नलिखित सम्बन्धी होंगे :--1-पत्नी या पति,

2-पुत्र,

3—अविवाहित पुत्रियां तथा विधवा पुत्रियां।

4—मृत सरकारी सेवक पर निर्भर अविवाहित भाई, अविवाहित बहन और विधवा माता, यदि मृत सरकारी सेवक अविवाहित था।

नियम—5 का संशोधन

3—उक्त नियमावली में नियम—5 में वर्तमान उपनियम 2 (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम बढ़ा दिये जायेंगे, अर्थात् :--

"(3) उपनियम (1) के अधीन की गयी प्रत्येक नियुक्त, इस शर्त के अधीन होगी कि उप नियम (1) के अधीन नियुक्त व्यक्ति, मृतक सरकारी सेवक के परिवार के अन्य सदस्यों का अनुरक्षण करेगा जो कि स्वयं का अनुरक्षण करने में असमर्थ है और उक्त मृतक सरकारी सेवक पर उसकी मृत्यु के ठीक पूर्व आश्रित थे।"

4—जहां उपनियम (1) के अधीन नियुक्त व्यक्ति, किसी ऐसे व्यक्ति का अनुरक्षण करने में उपेक्षा या इन्कार करता है जिसके प्रति अनुरक्षण के लिये वह उपनियम (3) क्रे अधीन उत्तरदायी है तो उसकी सेवाएं, समय—समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के अनुसरण में समाप्त की जा सकती हैं।

आज्ञा से, डा0 हरिकृष्ण सचिव।



रजिस्ट्रेशन नम्बर-एस०एस०पी०/एल०-डब्लू०/एन०पी०--91/2008-10 लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

# सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

# उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

# असाधारण

विधायी परिशिष्ट भाग—4, खण्ड (क) (सामान्य परिनियम नियम)

लखनऊ, शुक्रवार, 28 जुलाई, 2006 श्रावण 6, 1928 शक सम्वत्

#### उत्तर प्रदेश सरकार

कार्मिक अनुभाग-2

संख्या 6/12-73-कार्मिक-2-2006 लखनऊ, 28 जुलाई, 2006

> अधिसूचना प्रकीर्ण

#### सा०प०नि०-45

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली, 1974 को संशोधित करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:—

उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती (सातवाँ संशोधन) नियमावली, 2006

- 1— (1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की संक्षिप्त नाम भर्ती (सातवाँ संशोधन) नियमावली, 2006 कही जायेगी। और प्रारम्भ
  - (2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

नियम-५ का प्रतिस्थापन

2—उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली, 1974 में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान नियम-5 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात:-

#### रतम्भ-1 विद्यमान नियम

स्तम्भ-2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम

मृतक के क्टुम्ब की भर्ती

5—(क) यदि इस नियमावली के मृतक के कुटुम्ब के किसी सदस्य प्रारम्भ होने के पश्चात किसी सरकारी के किसी सदस्य प्रारम्भ होने के पश्चात किसी सरकारी सेवक की सेवाकाल में मृत्यु हो जाये की भर्ती और मृत सरकारी सेवक का पति या पत्नी (जैसी भी स्थिति हो) केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या उसके द्वारा नियंत्रित किसी निगम के अधीन पहले से सेवायोजित न हो तो उसके कुटुम्ब के ऐसे एक सदस्य को जो, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या उसके द्वारा नियंत्रित किसी निगम के अधीन पहले से सेवायोजित न हो, इस प्रयोजन के लिये आवेदन करने पर भर्ती के किसी सामान्य नियमों को शिथिल करते हुए, सरकारी सेवा में किसी पद पर, ऐसे पद को छोड़कर जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के क्षेत्रान्तर्गत हों, उपयुक्त सेवायोजन प्रदान किया जायेगा यदि ऐसा व्यक्ति:-

- (एक) पद के लिए विहित शैक्षिक अर्हतायें पूरी करता हो,
- (दो) सरकारी सेवा के लिये अन्यथा अर्ह हो, और
- (तीन) सरकारी सेवक की मृत्यू के दिनांक से पांच वर्ष के भीतर सेवायोजन के लिये आवेदन करता है:

परन्त् जहां राज्य सरकार का यह समाधान हो जाये कि सेवायोजन के लिये नियत समय सीमा से किसी विशिष्ट मामले से अनुचित कठिनाई होती है वहां वह अपेक्षाओं को, जिन्हें वह मामले में न्यायसंगत और साम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिए आवश्यक समझे अभिगुक्त या शिथिल कर सकती है।

5—(क) यदि इस नियमावली के सेवक की सेवाकाल में मृत्यु हो जाये और मृत सरकारी सेवक का पति या पत्नी (जैसी भी स्थिति हो) केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या उसके द्वारा नियंत्रितः किसी निगम के अधीन पहले से सेवायोजित न हो तो उसके कुटुम्ब के ऐसे एक सदस्य को जो, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या उसके द्वारा नियंत्रित किसी निगम के अधीन पहले से सेवायोजित न हो, इस प्रयोजन के लिये आवेदन करने पर भर्ती के सामान्य नियमों को शिथिल करते हुए, सरकारी सेवा में किसी पद पर, ऐसे पद को छोड़कर जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के क्षेत्रान्तर्गत हों, उपयुक्त सेवायोजन प्रदान किया जायेगा यदि ऐसा व्यक्ति:--

- (एक) पद के लिए विहित शैक्षिक अर्हतायें पूरी करता हो,
- (दो) सरकारी सेवा के लिये अन्यथा अर्ह हो, और
- (तीन) सरकारी सेवक की मृत्यु के दिनांक से पांच वर्ष के भीतर सेवायोजन के लिये आवेदन करता है:

परन्तु जहां राज्य सरकार का यह समाधान हो जाये कि सेवायोजन के लिये आवेदन करने के लिये नियत समय सीमा से किसी विशिष्ट मामले से अनावश्यक कठिनाई होती है वहां वह अपेक्षाओं को, जिन्हें वह मामले में न्यायसंगत और साम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिए आवश्यक समझे अभिमुक्त या शिथिल कर सकती है।

#### स्तम्भ<u></u>1 विद्यमान नियम

- (2) ऐसा सेवायोजन यथासंभव उसी विभाग में दिया जाना चाहिये जिसमें मृत सरकारी सेवक अपनी मृत्यु से पूर्व सेवायोजित था।
- (3) उपनियम (1) के अधीन की गयी प्रत्येक नियुक्ति, इस शर्त के अधीन होगी कि उप नियम (1) के अधीन नियुक्त व्यक्ति, मृतक सरकारी सेवक के परिवार के अन्य सदस्यों का अनुरक्षण करेगा जो कि स्वयं का अनुरक्षण करने में असमर्थ है और उक्त मृतक सरकारी सेवक पर उसकी मृत्यु के ठीक पूर्व आश्रित थे।
- (4) जहां उप नियम (1) के अधीन नियुक्त व्यक्ति, किसी ऐसे व्यक्ति का अनुरक्षण करने में उपेक्षा या इनकार करता है जिसके प्रति अनुरक्षण के लिये वह उप नियम (3) के अधीन उत्तरदायी है तो उसकी सेवायें, समय—समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के अनुसरण में समाप्त की जा सकती है।

## <del>- रतम्भ--</del>2

एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम

परन्तु यह और कि उपर्युक्त परन्तुक के प्रयोजन के लिये सम्बद्ध व्यक्ति कारणों को स्पष्ट करेगा और आवदेन करने के लिये नियत समय सीमा के अवसान के पश्चात सेवायोजन के लिये आवदेन करने के विलम्ब के कारण के सम्बन्ध में ऐसे विलम्ब के समर्थन में आवश्यक अमिलेखों / सबूत सहित लिखित में समुचित औचित्य देगा और सरकार विलम्ब के कारण के लाये सभी तथ्यों पर विचार करते हुये समुचित निर्णय लेगी।

- (2) ऐसा सेवायोजन यथासंभव उसी विभाग में दिया जाना चाहिये जिसमें मृत सरकारी सेवक अपनी मृत्यु से पूर्व सेवायोजित था।
- (3) उपनियम (1) के अधीन की गयी प्रत्येक नियुक्ति, इस शर्त के अधीन होगी कि उप नियम (1) के अधीन नियुक्त व्यक्ति, मृतक सरकारी सेवक के परिवार के अन्य सदस्यों का अनुरक्षण करेगा जो कि स्वयं का अनुरक्षण करने में असमर्थ है और उक्त मृतक सरकारी सेवक पर उसकी मृत्यु के ठीक पूर्व आश्रित थे।
- (4) जहां उप नियम (1) के अधीन नियुक्त व्यक्ति, किसी ऐसे व्यक्ति का अनुरक्षण करने में उपेक्षा या इनकार करता है जिसके प्रति अनुरक्षण के लिये वह उप नियम (3) के अधीन उत्तरदायी है तो उसकी सेवायें, समय—समय पर यथां संशोधित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के अनुसरण में समाप्त की जा सकती है।

आज्ञा से, उमेश सिन्हा, सचिव। In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 6/12/1974-Personnel-2/2006, dated May, 2006:

#### No. 6/12/1973-Personnel-2-2006

#### Dated Lucknow, July 28, 2006

In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the Governor is pleased to make the following rules with a view to amending the Uttar Pradesh recruitment of Dependents of Government Servants Dying in Harness Rules, 1974:

# THE UTTAR PRADESH RECRUITMENT OF DEPENDENTS OF GOVERNMENT SERVANTS DYING IN HARMESS (SEVENTH AMENDMENT) RULES, 2006

Short title and commencement

- 1. (1) These rules may be called the Uttar Pradesh Recruitment of dependents of Government Servants Dying in Harness (Seventh Amendment) Rules, 2006.
  - (2) They shall come into force at once.

Substitution of rule 5

2. In the Uttar Pradesh Recruitment of Dependents of Government Servants Dying in Harness Rules, 1974 for existing rules 5 set out in Column 1 below the rule as set out in Column 2 shall be substituted, namely:—

Recruitment of a

member of the

family of the

deceased

#### COLUMN-1

#### Existing rule

Recruitment of a member of the family of the deceased

- 5. (1) In case a Government servant dies in harness after the commencement of these rules, and the spouse of the deceased Government servant not already employed under Central Government or a State Government or a Corporation or controlled by the owned Central Government or a State Government, one member of his family who is not already employed under the Central Government State or a Government or a Corporation owned or controlled by the Central Government or a State Government shall on making an application for the purpose, be given a suitable emploment in the Government Service on a post except the post which in within the purview of the Uttar Pradesh Public Service Commission, in relaxation of the normal recruitment rules if such person—
- (i) fulfils the educational qualification prescribed for the post,
- (ii) is otherwise qualified for Government service, and
- (iii) makes the application for employment within five years from the date of the death of the Government Servant.

### Rule as hereby substituted

- servant dies in harness after the commencement of these rules, and spouse of the deceased Government servant is not already employed. Central under the Government or a State Government a Corporation owned or controlled the Central by Government State or Government, one member of his family who is not already employed under the Central Government or a State Government or a Corporation owned or controlled by the Central Government or a State Government shall on making an application for the purpose, be given a suitable employed in the Government Service on a post except the post which in within the purview of the Uttar Pradesh Public Service Commission, in relaxation of the
- (i) fulfils the educational qualification prescribed for the post,

normal recruitment rules if such

person-

- (ii) is otherwise qualified for Government service, and
- (iii) makes the application for employment within five years from the date of the death of the Government Servant.

5. (1) In case a Government

# COLUMN-1

# Existing rule

application for employ undue hardship in an case, it may dispense where requirement as it notecessary for dealing win a just and equitable may be applicated as it in a just and equitable may be applicated as it in a just and equitable may be applicated as it is a just and equitable may be applicated as it is a just and equitable may be applicated as it is a just and equitable may be applicated as it is a just and equitable may be applicated as it is a just and equitable may be applicated as it is a just and equitable may be applicated as it is a just and equitable may be applicated as it is a just and equitable may be applicated as it is a just and equitable may be applicated as it is a just and equitable may be applicated as it is a just an in a just an it is a just an in a just an in a just a j time overnment is sa limit fixed for employment any sat making isfied where particular the or Relax consider causes that the the

- (2) As far as possible, such an employment should be given in the same department in which the deceased Government Servants was employed prior to his death.
- (3) Every appointment made under sub-rule (1) shall be subject to the condition that the person appointed under sub-rule (1) shall maintain other members of the family of deased Government servant who were dependent on the deased Government immediately before his death and are unable maintain themselves.
- (4) Where the person appointed under sub-rule (1) neglects or refuses to maintain a person to whom he is liable to maintain under sub-rule (3), his services may be terminated in accordance with the Uttar Pradesh Government Servant (Discipline and Appeal) Rules, 1999, as amended from time to time.

# COLUMN-2

# Rule as hereby substituted

a just undue time State necessary for application require ssary for dealing t t and equitable ma Provided it may Government is limit hardship ment for fixed dispense that employment 3 manner for Ξ. satisfied it may co the any with making where partic consider he case in or Relax that cau ular क्तं क्तं

employment trime limit purpose person leading taking reasons document/proof in suppo dealy and the Government alongwith application appropriate writing remaking Provided into consideration all the concerned shall and give proper ng regarding the d of the aforesaid 0 decision. fixed after such the further for the the her that for the esaid proviso the shall explain the coper justification the application for making the employment employment delay for support shall, necessary t of such shall, after take facts the

- (2) As far as possible, such an employment should be given in the same department in which the deceased Government Servants was employed prior to his death.
- under before the appointed maintain themselves maintain other members ore his deceased  $\overline{\omega}$ condition sub-rule (1) shall be Every dependent under death servant Government appointment that sub-rule and 9n of the the immedia are subjec  $\Xi$ de pe un fai
- accordance Government Appeal) service 6 sub-rule Where tain a perso maintain u Rules, to time Serv may  $\Xi$ the 1999, ant neglects under the On n be (Discipline 5 Uttar whom ame æ

By order, JMESH SINHA,

Sachiv.

# उत्तर प्रदेश सरकार कार्मिक अनुभाग–2

#### संख्या 6/12/73/कार्मिक-2-2007

लखनऊ, 09 फरवरी, 2007

### अधिसूचना

#### प्रकीर्ण

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली, 1974 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:—

# उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती (आठवॉ संशोधन) नियमावली, 2007

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1—(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भंतीं (आठवाँ संशोधन) नियमावली, 2007 कही जायेगी।

#### (2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

नियम–2 का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली, 1974 में नियम—2 में स्तम्भ—1 में दिये गये वर्तमान खण्ड (ग) के स्थान पर स्तम्भ—2 में दिया गया खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात:—

#### स्तम्भ<u>–1</u> वर्तमान खण्ड

(ग) ''कुटुम्ब'' के अन्तर्गत मृतक सरकारी सेवक के निम्नलिखित सम्बन्धी होंगे—

1-पत्नी या पति,

2—पुत्र

3—अविवाहित पुत्रियां तथा विधवा पुत्रियां,

4—मृत सरकारी सेवक पर निर्भर अविवाहित भाई, अविवाहित बहन और विधवा माता, यदि मृत सरकारी सेवक अविवाहित था।

#### स्तम्भ-2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित खण्ड

(ग) ''कुटुम्ब'' के अन्तर्गत मृतक सरकारी सेवक के निम्नलिखित सम्बन्धी होंगे—

1-पत्नी या पति,

2--पुत्र

3--अविवाहित पुत्रियां तथा विधवा पुत्रियां,

4—मृत सरकारी सेवक पर आश्रित अविवाहित भाई, अविवाहित बहन और विधवा माता, यदि मृत सरकारी सेवक अविवाहित था:

परन्तु यदि मृत सरकारी सेवक के उपरिउल्लिखित सम्बन्धियों में से किसी से सम्बन्धित कोई व्यक्ति उपलब्ध नहीं है या वह शारीरिक और मानसिक रूप से अनुपयुक्त पाया जाय और इस प्रकार सरकारी सेवा में नियोजन के लिये अपात्र हो तो केवल ऐसी स्थिति में शब्द ''कुटुम्ब'' के अन्तर्गत मृत सरकारी सेवक पर आश्रित पौत्र और अविवाहित पौत्रियां भी सम्मिलित होंगी।

आज्ञा से, उमेश सिन्हा, सचिव। In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 6/12/1973-Personnel-2/2006, dated February 9, 2007:

#### GOVERNMENT OF UTTAR PRADESH

#### PERSONNEL SECTION-2

#### NOTIFICATION

#### Miscellaneous

#### No. 6/12/1973-Personnel-2-2007

#### Dated Lucknow, February 09, 2007

In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the Governor is pleased to make the following rules with a view to amending the Uttar Pradesh Recruitment of Dependants of Government Servants Dying in Harness Rules, 1974:

# THE UTTAR PRADESH RECRUITMENT OF DEPENDANTS OF GOVERNMENT SERVANTS DYING IN HARNESS (EIGHTH AMENDMENT) RULES, 2007

- 1. (1) These rules may be called The Uttar Pradesh Recruitment of Short title and Dependants of Government Servants Dying in Harness (Eighth Amendment) Rules, Commencement 2007.
  - (2) They shall come into force at once.
- 2. In the Uttar Pradesh Recruitment of Dependants of Govrnment Servants Dying in Harness Rules, 1974, in rule 2, for existing clause (c) set out in column 1 below, the clause as set out in column 2 shall be substituted, namely:—

# Amendment of rule 2

#### COLUMN-1

#### Existing Clause

- (c) "family" shall include the following relations of the deceased Government servant:—
  - (i) wife or husband;
  - (ii) sons;
- (iii) unmarried and widowed daughters;
- (iv) ummarried brothers, unmarried sisters and widowed mother dependant on the deceased Government servant, if the deceased Government servant was unmarried:

#### COLUMN-2

#### Clause as hereby substituted

- (c) "family" shall include the following relations of the deceased Government servant:—
  - (i) wife or husband;
  - (ii) sons;
  - (iii) unmarried and widowed daughters:
- (iv) unmarried brothers, unmarried sisters and widowed mother dependant on the deceased Government servant, if the deceased Government servant was unmarried:

Provided that if a person belonging to any of the above mentioned relations of the deceased Government servant is not available or is found to be physically and mentally unfit and thus ineligible for employment in Government service, then only in such situation the worked "family" shall also include the grandsons and the unmarried grand daughters of the deceased Government servant dependant on him.

By order, UMESH SINHA, Sachiv.



रजिस्ट्रेशन नम्बर-एस०एस०पी०/एल० डब्लू०/एन०पी०-91/2011-13 लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

# सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

# उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

# असाधारण

### विधायी परिशिष्ट

भाग\_4, खण्ड (क) (सामान्य परिनियम नियम)

लखनऊ, बृहस्पतिवार, 22 दिसम्बर, 2011 पौष 01, 1933 शक सम्वत्

#### उत्तर प्रदेश सरकार कार्मिक अनुभाग-2

संख्या—6 / 12 / 73—का—2 / 2011 टी०सी०—IV लखनऊ, 22 दिसम्बर, 2011

> अधिसूचना प्रकीर्ण

#### सा०प०नि–89

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल, उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली, 1974 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:—

उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती (नवाँ संशोधन) नियमावली, 2011

संक्षिप्त नाम 1--(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की <sup>और प्रारम्भ</sup> भर्ती (नवाँ संशोधन) नियमावली, 2011 कहीं जायेगी।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्तः होगी।

नियम २ वर्ग 2—उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की मर्ता नियमावली, संशोधन 1974 में नियम २ में, नीचे रतम्म-1 में दिश एथं विद्यान खण्ड (५) के रथान पर स्तम्म-2 में दिया गया खण्ड रख दिया जाएगा, अर्थात् अ

#### स्तम्भ-1

#### विद्यमान खण्ड

(ग) ''कुटुम्ब'' के अन्तर्गत मृत सरकारी सेवक के निम्नलिखित सम्बन्धी होंगे :--

1-पत्नी या पति,

2—पुत्र

3—अविवाहित पुत्रियाँ तथा विधवा पुंत्रियाँ,

4—मृत सरकारी सेवक पर आश्रित अविवाहित भाई, अविवाहित बहन और विधवा माता, यदि मृत सरकारी सेवक अविवाहित था:

परन्तु यदि मृत सरकारी सेवक के उपरिउल्लिखित सम्बन्धियों में से किसी से सम्बन्धित कोई व्यक्ति उपलब्ध नहीं है या वह शारीरिक और मानसिक रूप से अनुपयुक्त पाया जाय और इस प्रकार सरकारी सेवा में नियोजन के लिए अपात्र हो तो केवल ऐसी स्थिति में शब्द 'कुटुम्ब' के अन्तर्गत मृत सरकारी सेवक पर आश्रित पौत्र और अविवाहित पौत्रियाँ भी सम्मिलित होंगी।

#### <u>स्तम्भ-2</u>

#### एतदद्वारा प्रतिस्थापित खण्ड

(ग) 'कुटुम्ब'' के अन्तर्गत मृत सरकारी सेवक के निम्नलिखित सम्बन्धी होंगे :--

(एक) पत्नी या पति,ः

#### (दो) पुत्र / दत्तक पुत्र,

(तीन) अविवाहित पुत्रियाँ, अविवाहित दत्तक पुत्रियाँ, विधवा पुत्रियाँ और विधवा पुत्र वधुएँ,

(चार) मृत सरकारी सेवक पर आश्रित अविवाहित भाई, अविवाहित बहन और विधवा माता, यदि मृत सरकारी सेवक अविवाहित था,

(पाँच) ऐसे लापता सरकारी सेवक, जिसे सक्षम न्यायालय द्वारा 'मृत' के रूप में घोषित किया गया है, के उपरिउल्लिखित सम्बन्धी:

परन्तु यदि मृत सरकारी सेवक के उपरिउल्लिखित सम्बन्धियों में से किसी से सम्बन्धित कोई व्यक्ति उपलब्ध नहीं है या वह शारीरिक और मानसिक रूप से अनुपयुक्त पाया जाय और इस प्रकार सरकारी सेवा में नियोजन के लिए अपात्र हो तो केवल ऐसी स्थिति में शब्द "कुदुम्ब" के अन्तर्गत मृत सरकारी सेवक पर आश्रित पौत्र और अविवाहित पौत्रियाँ भी सम्मिलित होंगी।

आज्ञा से, कुँवर फतेह बहादुर, प्रमुख सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 6/XII-1973-Personnel-2-2011 T.C.-IV, dated December 22, 2011:

#### Miscellaneous

No. 6/XII-1973-Personnel-2-2011 T.C.-IV Dated Lucknow, December 22, 2011

In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the Governor is pleased to make the following rules with a view to amending The Uttar Pradesh Recruitment of Dependants of Government Servants Dying in Harness Rules, 1974:

# THE UTTAR PRADESH RECRUITMENT OF DEPENDANTS GOVERNMENT SERVANTS DYING IN HARNESS (NINTH AMENDMENT) RULES, 2011

- 1. (1) These rules may be called The Uttar Pradesh Recuritment of Dependants Short title and of Government Servants Dying in Harness (Ninth Amendment) Rules, 2011.

  Commencement
  - (2) They shall come into force at once.
- 2. In the Uttar Pradesh Recruitment of Dependants of Government Servants Amendment of Dying in Harness Rules, 1974, in rule 2, for existing clause (c) set out in column 1 rule 2 below, the clause as set out in column 2 shall be substituted, namely:—

#### COLUMN-I

#### Existing Clause

- (C) "family" shall include the following relations of the deceased Government servant:—
  - (i) wife or husband;
  - (ii) sons;
- (iii) unmarried and widowed daughters;
- (iv) ummarried brothers, unmarried sisters and widowed mother dependant on the deceased Government servant, if the deceased Government servant was unmarried:

Provided that if a person belonging to any of the above mentioned relations of the deceased Government servant is not available or is found to be physically and mentaly unfit and thus ineligible for employment in Government service, then only in such situation the word "family" shall also include the grandsons and the unmarried granddaughters of the deceased Government servant dependant on him.

#### COLUMN-II

#### Clause as hereby substituted

- (C) "family" shall include the following relations of the deceased Government servant:—
  - (i) wife or husband;
  - (ii) sons/adopted sons;
- (iii) unmarried daughters, unmarried adopted daughters, widowed daughters and widowed daughters-in-law;
- (iv) unmarried brothers, unmarried sisters and widowed mother dependant on the deceased Government servant, if the deceased Government servant was unmarried;
- (v) aforementioned relations of such missing Government servant who has been declared as "dead" by the competent court:

Provided that if a person belonging to any of the above mentioned relations of the deceased Government servant is not available or is found to be physically and mentally unfit and thus ineligible for employment in Government service, then only in such situation the word "family" shall also include the grandsons and the unmarried granddaughters of the deceased Government servant dependant on him.

By order, KUNWAR FATEH BAHADUR, Pramukh Sachiv.



रजिस्ट्रेशन नम्बर-एस०एस०पी०/एल०-डब्लू०/एन०पी०-91/2011-13

लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

# सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

# उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

# असाधारण

विधायी परिशिष्ट भाग-4, खण्ड (क) (सामान्य परिनियम नियम)

लखनऊ, शुक्रवार, 17 जनवरी, 2014 पौष 27, 1935 शक सम्वत्

> उत्तर प्रदेश सरकार कार्मिक अनुभाग-2

संख्या 6/12/73/का-2-टी०सी0-IV लखनऊ, 17 जनवरी, 2014

#### अधिसूचना प्रकीर्ण

#### सा0प0नि0-5

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल, उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली, 1974 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :—

उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती

(दसवाँ संशोधन) नियमावली, 2014

1—(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती संक्षिप्त नाम (दसवाँ संशोधन) नियमावली, 2014 कही जायेगी।

### (2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

2—उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली, 1974 में नियम–5 का नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान नियम–5 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया प्रतिस्थापन जाएगा, अर्थात् —

#### स्तम्भ-1

#### विद्यमान नियम

5—मृतक के कुटुम्ब के किसी सदस्य की भर्ती— (1) यदि इस नियमावली ्के प्रारम्भ होने के पश्चात किसी सरकारी सेवक की सेवाकाल में मृत्यु हो जाये और मृत सरकारी सेवक का पति या पत्नी (जैसी भी स्थिति हो) केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या उसके द्वारा नियंत्रित किसी निगम के अधीन पहले से सेवायोजित न हो तो उसके कुटुम्ब के ऐसे एक सदस्य को जो केन्द्रीय ५ सरकार या राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या उसके द्वारा नियंत्रित किसी निगम के अधीन पहले से सेवायोजित न हो, इस प्रयोजन के लिए आवेदन करने पर भर्ती के सामान्य नियमों को शिथिल करते हुए, सरकारी सेवा में किसी पद पर ऐसे पद को छोड़ कर जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के क्षेत्रान्तर्गत हो, उपयुक्त सेवायोजन प्रदान किया जायेगा यदि ऐसा व्यक्ति :--

(एक) पद के लिए विहित **शैक्षिक** अर्हताएं पूरी करता हो,

#### रतम्भ-2

#### एतदद्वारा प्रतिस्थापित नियम

5-मृतक के कुटुम्ब के किसी सदस्य की गर्ती— (1) यदि इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पश्चात किसी सरकारी सेवक की सेवाकाल में मृत्यु हो जाये और मृत सरकारी सेवक का पति या पत्नी (जैसी भी स्थिति हो) केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या उसके द्वारा नियंत्रित किसी निगम के अधीन पहले से सेवायोजित न हो तो उसके कुट्रम्ब के ऐसे एक सदस्य को जो केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार अथवा केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के स्वागित्वाधीन या उसके द्वारा नियंत्रित किसी निगम के अधीन पहले से सेवायोजित न हो, इस प्रयोजन के लिए आवेदन करने पर भर्ती के सामान्य नियमों को शिथिल करते हुए, सरकारी सेवा में किसी पद पर ऐसे पद को छोड़ कर जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के क्षेत्रान्तर्गत हो, उपयुक्त सेवायोजन प्रदान किया जायेगा यदि ऐसा व्यक्ति :--

(एक) पद के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं पूरी करता हो :

परन्तु यह कि, यदि नियुक्ति किसी ऐसे पद पर की जाती है जिसके लिए टंकण को एक अनिवार्य अर्हता के रूप में विहित किया गया है, और मृत सरकारी सेवक के आश्रित के पास टंकण में अपेक्षित प्रवीणता नहीं है, तो उसे इस शर्त के अधीन नियुक्त किया जाएगा कि वह एक वर्ष के भीतर ही टंकण में 25 शब्द प्रति मिनट की अपेक्षित गति प्राप्त कर लेगा और यदि वह ऐसा करने में विफल रहता है तो उसकी सामान्य वार्षिक वेतन-वृद्धि रोक ली जाएगी, और टंकण में अपेक्षित गति प्राप्त करने के लिए उसे अग्रेतर एक वर्ष की अवधि प्रदान की जाएगी, और यदि बढ़ायी गयी अवधि में भी वह टंकण में अपेक्षित गति प्राप्त करने में विफल रहता है तो उसकी सेवायें समाप्त कर दी जायेगी,

#### स्तम्भ-1

#### विद्यमान नियम

(दो) सरकारी सेवा के लिए अन्यथा अर्ह हो, और (तीन) सरकारी सेवक की मृत्यु के दिनांक के पाँच वर्ष के भीतर सेवायोजन के लिए आवेदन करता है: वर्ष

परन्तु जहाँ राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि सेवायोजन के लिए आवेदन करने के लिए नियत समय सीमा से किसी विशिष्ट मामले में अनावश्यक कितनाई होती है वहाँ वह अपेक्षाओं को, जिन्हें वह मामले में न्यायसंगत और साम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिए आवश्यक समझे, अभिमुक्त या शिथिल कर सकती है:

परन्तु यह और कि उपर्युक्त परन्तुक के प्रयोजन के लिए सम्बद्ध व्यक्ति कारणों को स्पष्ट करेगा और आवेदन करने के लिए नियत समय सीमा के अवसान के पश्चात सेवायोजन के लिए आवेदन करने के विलम्ब के कारण के सम्बन्ध में ऐसे विलम्ब के समर्थन में आवश्यक अभिलेखों / सबूत सिंहत लिखित में समुचित औचित्य देगा और सरकार विलम्ब के कारण के लाए सभी तथ्यों पर विचार करते हुए समुचित निर्णय लेगी।

- (2) ऐसा सेवायोजन यथासम्भव उसी विभाग में दिया जाना चाहिए, जिसमें मृत सरकारी सेवक अपनी मृत्यु से पूर्व सेवायोजित था।
- (3) उपनियम (1) के अधीन की गयी प्रत्येक नियुक्ति, इस शर्त के अधीन होगी कि उपनियम (1) के अधीन नियुक्त व्यक्ति, मृतक सरकारी सेवक के परिवार के अन्य सदस्यों का अनुरक्षण करेगा जो कि स्वयं का अनुरक्षण करने में असमर्थ है और उक्त मृतक सरकारी सेवक पर उसकी मृत्यु के ठीक पूर्व आश्रित थे।
- (4) जहाँ उपनियम (1) के अधीन नियुक्त व्यक्ति, किसी ऐसे व्यक्ति का अनुरक्षण करने में उपेक्षा या इनकार करता है जिसके प्रति अनुरक्षण के लिए वह उपनियम (3) के अधीन उत्तरदायी है तो उसकी सेवायें, समय—समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के अनुसरण में समाप्त की जा सकती हैं।

#### स्तम्भ-2

#### एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम

(दो) सरकारी सेवा के लिए अन्यथा अर्ह हो, और (तीन) सरकारी सेवक की मृत्यु के दिनांक के पाँच वर्ष के भीतर सेवायोजन के लिए आवेदन करता है:

परन्तु जहाँ राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि सेवायोजन के लिए आवेदन करने के लिए नियत समय सीमा से किसी विशिष्ट मामले में असम्यक् किटनाई होती है वहाँ वह अपेक्षाओं को जिन्हें वह मामले में न्याय—संगत और साम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिए आवश्यक समझे, अभिमुक्त या शिथिल कर सकती है:

परन्तु यह और कि उपर्युक्त परन्तुक के प्रयोजन के लिए सम्बन्धित व्यक्ति कारणों को स्पष्ट करेगा और आवेदन करने के लिए नियत समय सीमा के अवसान के पश्चात सेवायोजन के लिए आवेदन करने में विलम्ब के कारण के सम्बन्ध में ऐसे विलम्ब के समर्थन में आवश्यक अभिलेखों / सबूत सहित लिखित में समुचित औचित्य देगा और सरकार विलम्ब के कारण के लिए सभी तथ्यों पर विचार करते हुए समुचित निर्णय लेगी।

- (2) जहाँ तक सम्भव हो, ऐसा सेवायोजन उसी विभाग में दिया जाना चाहिए, जिसमें मृत सरकारी सेवक अपनी मृत्यु से पूर्व सेवायोजित था।
- (3) उपनियम (1) के अधीन की गयी प्रत्येक नियुक्ति, इस शर्त के अधीन होगी कि उपनियम (1) के अधीन नियुक्त व्यक्ति, मृतक सरकारी सेवक के परिवार के अन्य सदस्यों का अनुरक्षण करेगा जो कि स्वयं का अनुरक्षण करने में असमर्थ हैं और उक्त मृत सरकारी सेवक पर उसकी मृत्यु के ठीक पूर्व आश्रित थे।
- (4) जहाँ उपनियम (1) के अधीन नियुक्त व्यक्ति, किसी ऐसे व्यक्ति का अनुरक्षण करने में उपेक्षा या इनकार करता है जिसके प्रति अनुरक्षण के लिए वह उपनियम (3) के अधीन उत्तरदायी है तो उसकी सेवायें, समय—समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के अनुसरण में समाप्त की जा सकती हैं।

आज्ञा से, राजीव कुमार, प्रमुख सचिव।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no.6/XII/73/Ka-2-T.C-IV, dated January 17, 2014:

#### No.6/XII/73/Ka-2-T.C-IV

#### Dated Lucknow January 17, 2014

IN exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the Governor is pleased to make the following rules with a view to amending The Uttar Pradesh Recruitment of Dependants of Government Servants Dying in Harness Rules, 1974:

#### THE UTTAR PRADESH RECRUITMENT OF DEPENDANTS OF GOVERNMENT SERVANTS DYING IN HARNESS (TENTH AMENDMENT) RULES, 2014

Short title and commencement

- 1. (1) These rules may be called The Uttar Pradesh Recruitment of Dependants of Government Servants Dying in Harness (Tenth Amendment) Rules, 2014.
  - (2) They shall come into force at once.

Substitution of rule 5

2. In the Uttar Pradesh Recruitment of Dependants of Government Servants Dying in Harness Rules, 1974, for existing rule 5 set out in column-1 below, the rule as set out in column-2 shall be substituted, namely:-

#### COLUMN-1

#### Existing rule

5. (1) Recruitment of a member of Central Government or a person-

#### COLUMN-2

#### Rule as hereby substituted

5. (1) Recruitment of a member of the family of the deceased- In case a the family of the deceased- In case a Government servant dies in harness after Government servant dies in harness after the commencement of these rules, and the the commencement of these rules, and the the deceased Government spouse of the deceased Government servant is not already employed under the servant is not already employed under the State Central Government State Government or a Corporation owned or Government or a Corporation owned or controlled by the Central Government or a controlled by the Central Government or a State Government, one member of his State Government, one member of his family who is not already employed under family who is not already employed under the Central Government or a State the Central Government or a State Government or a Corporation owned or Government or a Corporation owned or controlled by the Central Government or a controlled by the Central Government or a State Government shall, on making an State Government shall, on making an application for the purpose, be given a application for the purpose, be given a suitable employment in Government suitable employment in Government Service on a post except the post which is Service on a post except the post which is within the purview of the Uttar Pradesh within the purview of the Uttar Pradesh Public Service Commission, in relaxation Public Service Commission, in relaxation of the normal recruitment rules if such of the normal recruitment rules if such person-

# COLUMN-1

# Existing rule

(i) fulfils the educational qualifications prescribed for the post,

- (ii) is otherwise qualified for Government
- service, and
  (iii) makes the application for employment
- within five years from the date of the death of the Government servant:

hardship satisfied that the time limit fixed application necessary equitable manner : Provided that relax the in any for dealing with the for particular requirement as where the State employment case, O it may ase in a just and it may consider causes for making the Government is dispense undue

delay the application for employment aforesaid necessary application in writing regarding the explain the delay, take the appropriate Provided further that for the and msideration time proviso, documents/ proof the reasons and give for employment Government limit all the the fixed person delay proper justification shall, 5 aused in making leading concerned support of after the expiry purpose of the making after taking with the shall

- (2) As far as possible, such an employment should be given in the same department in which the deceased Government servant was employed prior to his death.
- (3) Every appointment made under sub-rule (1) shall be subject to the condition that the person appointed under sub-rule (1) shall maintain other members of the family of deceased Government servant, who were dependent on before his death and are unable to maintain themselves.

# COLUMN-2

# Rule as hereby substituted

(i) fulfils the educational qualifications prescribed for the post:

typewriting, he shall be appointed subject to the condition that he would acquire the requisite speed of 25 words per minute in typewriting well within one year and if he fails to do so, his dependent of prescribed made on a post for acquire within one year and if he fails to do so, his general annual increment shall be withheld and a further period of one year shall be granted to him to acquire the requisite speed in typewriting and services shall be dispensed with. in the extended period also he Provided the requisite possess as that an essential q the deceased Ħ the case appointment is to be which typewriting has been speed ased Government required proficie appointme qualification and the H typewriting, proficiency again fails servant his Ö

- (ii) is otherwise qualified for Government service, and
- (iii) makes the application for employment within five years from the date of the death of the Government servant:

hardship in any particular c with or relax the requirement necessary for dealing with t satisfied that the equitable manner: Provided that where time limit fixed for making the employment causes undue requirement as employment the case, it the State case it may consider Government may in a just and dispense is

proof the aforesaid proviso, the time limit fixed for making the application for all explain the employment along with the necessary documents/ proof in support of such delay and the appropriate decision. proof in support of such del Government shall, after taking into Provided further writing regarding application for employment afte the facts leading reasons the that and and give proper justification the delay caused in making Ö person for the such delay, concerned shall purpose r the expiry of consideration take of the

- (2) As far as possible, such an employment should be given in the same department in which the deceased Government servant was employed prior to his death.
- (3) Every appointment made under sub-rule (1) shall be subject to the condition that the person appointed under sub-rule (1) shall maintain other members of the family of deceased Government servant, who were dependent on the deceased Government servant immediately before his death and are unable to maintain themselves.

#### COLUMN-1

#### Existing rule

(4) Where the person appointed under subrule (1) neglects or refuses to maintain a person to whom he is liable to maintain under sub-rule (3), his services may be terminated in accordance with the Uttar Pradesh Government Servant (Discipline and Appeal) Rules, 1999, as amended from time to time.

•

#### COLUMN-2

#### Rule as hereby substituted

(4) Where the person appointed under subrule (1) neglects or refuses to maintain a person to whom he is liable to maintain under sub-rule (3), his services may be terminated in accordance with the Uttar Pradesh Government Servant (Discipline and Appeal) Rules, 1999, as amended from time to time.

By order,
RAJIV KUMAR,
Pramukh Sachiv.



रजिस्ट्रेशन नम्बर-एस०एस०पी०/एल०-डब्लू०/एन०पी०-91/2011-13

लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

# सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

# उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

# असाधारण

विधायी परिशिष्ट भाग-4, खण्ड (क) (सामान्य परिनियम नियम)

लखनऊ, बुधवार 22 जनवरी, 2014 माघ 2, 1935 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

कार्मिक अनुभाग-2

संख्या 6/12/73/का-2-टी०सी0-IV लखनऊ, 22 जनवरी, 2014

अधिसूचना

प्रकीर्ण

#### सा0प0नि0-4

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल, उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली, 1974 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली वनाते हैं।

उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती

(ग्यारहवाँ संशोधन) नियमावली, 2014

1—(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती सक्षिप्त नाम (ग्यारहवाँ संशोधन) नियमावली, 2014 कही जायेगी।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

नियम 5 का प्रतिस्थापन 2-उत्तर प्रदेश सेवाकाल **में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली**, 1974 में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान नियम 5 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जाएगा, अर्थात –

#### स्तम्भ-1

#### विद्यमान नियम

5-गृतक के कुटुम्ब के किसी सदस्य की गर्ती- (1) यदि इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पश्चात किसी सरकारी सेवक की रोवाकाल में मृत्यु हो जाये और मृत सरकारी सेवक का पति या पत्नी (जैसी भी स्थिति हो) केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के रवागित्वाधीन या उसके द्वारा नियंत्रित किसी निगम के अधीन पहले से सेवायोजित न हो तो उसके कुटुम्ब के ऐसे एक सदस्य को जो केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार अथवा केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या उसके द्वारा नियंत्रित किसी निगम के अधीन पहले से सेवायोजित न हो, इस प्रयोजन के लिए आवेदन करने पर भर्ती के सामान्य नियमों को शिथिल करते हुए, सरकारी सेवा में किसी पद पर ऐसे पद को छोड़ कर जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के क्षेत्रान्तर्गत हो, उपयुक्त रोवायोजन प्रदान किया जायेगा यदि ऐसा व्यक्ति :--

> (एक) पद के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं पूरी करता हो :

> परन्तु यह कि, यदि नियुक्ति किसी ऐसे पद पर की जाती है जिसके लिए टंकण को एक अनिवार्य अर्हता के रूप में विहित किया गया है, और मृत सरकारी सेवक के आश्रित के पास टंकण में अपेक्षित प्रवीणता नहीं हैं, तो उसे इस शर्त के अधीन नियुक्त किया जाएगा कि वह एक वर्ष के भीतर ही टंकण में 25 शब्द प्रति मिनट की

#### स्तम्भ-2

#### एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियग

5-मृतक के कुटुम्ब के किसी सदस्य की मर्ती— (1) यदि इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पश्चां किसी सरकारी सेवक की सेवाकाल में मृत्यु हो जाये और मृत सरकारी सेवक का पति या पत्नी (जैसी भी स्थिति हो) केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वागित्वाधीन या उसके द्वारा नियंत्रित किसी निगम के अधीन पहले से सेवायोजित न हो तो उसके कुटुग्ब के ऐसे एक सदस्य को जो केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार अथवा केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या उसके द्वारा नियंत्रित किसी निगम के अधीन पहले से सेवायोजित न हो, इस प्रयोजन के लिए आवेदन करने पर भर्ती के सामान्य नियमों को शिथिल करते हुए, सरकारी सेवा में किसी पद पर ऐसे पद को छोड़ कर जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के क्षेत्रान्तर्गत हो, उपयुक्त सेवायोजन प्रदान किया जायेगा यदि ऐसा व्यक्ति :--

> (एक) पद के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं पूरी करता हो :

परन्तु यह कि, यदि नियुक्ति किसी ऐसे पद पर की जाती है जिसके लिए टंकण को एक अनिवार्य अर्हता के रूप में विहित किया गया है, और मृत सरकारी सेवक के आश्रित के पास टंकण में अपेक्षित प्रवीणता नहीं है, तो जसे इस शर्त के अधीन नियुक्त किया जाएगा कि वह एक वर्ष के भीतर ही टंकण में 25 शब्द

#### रतम्भ-1

#### विद्यमान नियम

अपेक्षित गति प्राप्त कर लेगा और यदि वह ऐसा करने में विफल रहता है तो उसकी सामान्य वार्षिक वेतन—वृद्धि रोक ली जाएगी, और टंकण में अपेक्षित गति प्राप्त करने के लिए उसे अग्रेतर एक वर्ष की अविध प्रदान की जाएगी, और यदि बढ़ायी गयी अविध में भी वह टंकण में अपेक्षित गति प्राप्त करने में विफल रहता है तो उसकी सेवायें समाप्त कर दी जायेंगी,

(दो) सरकारी सेवा के लिए अन्यथा अर्ह हो, और

#### स्तम्भ-2

#### एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम

प्रति मिनट की अपेक्षित गित प्राप्त कर लेगा और यदि वह ऐसा करने में विफल रहता है तो उसकी सामान्य वार्षिक वेतन—वृद्धि रोक ली जाएगी, और टंकण में अपेक्षित गित प्राप्त करने के लिए उसे अग्रेतर एक वर्ष की अवधि प्रदान की जाएगी, और यदि बढ़ायी गयी अवधि में भी वह टंकण में अपेक्षित गित प्राप्त करने में विफल रहता है तो उसकी सेवायें समाप्त कर दी जायेंगी,

परन्तु यह और कि, किसी ऐसे पद पर नियुक्ति किये जाने की दशा में, जिसके लिए कम्प्यूटर प्रचालन और टंकण एक अनिवार्य अर्हता के रूप में विहित की गयी है और मृतक सरकारी सेवक का आश्रित कम्प्यूटर प्रचालन और टंकण में अपेक्षित प्रवीणता नहीं रखता है, तो उसे इस शर्त के अधीन रहते हुए नियुक्त कर लिया जायेगा कि वह एक वर्ष के भीतर ही कम्प्यूटर प्रचालन में डी.ओ.ई.ए.सी.सी. सोसायटी द्वारा प्रदत्त "सी.सी.सी." प्रमाण-पत्र या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त किसी प्रमाण-पत्र के साथ—साथ टंकण में 25 शब्द प्रति मिनट की अपेक्षित गति अर्जित कर लेगा, और यदि वह ऐसा करने में विफल रहता है तो उसकी सामान्य वार्षिक वेतन-वृद्धि रोक ली जायेगी, और कम्प्यूटर प्रचालन में अपेक्षित प्रमाण-पत्र और टंकण में अपेक्षित गति अर्जित करने के लिए उसे एक वर्ष की अग्रेतर अवधि प्रदान की जायेगी, और यदि बढ़ायी गयी अवधि में भी वह कम्प्यूटर प्रचालन में अपेक्षित प्रमाण-पत्र और टंकण में अपेक्षित गति अर्जित करने में विफल रहता है तो उसकी सेवायें समाप्त कर दी जायेंगी।

(दो) सरकारी सेवा के लिए अन्यथा अर्ह हो, और

#### स्तम्भ-1

#### विद्यमान नियम

(तीन) सरकारी सेवक की मृत्यु के दिनांक के पाँच वर्ष के भीतर सेवायोजन के लिए आवेदन करता है :

परन्तु जहाँ राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि सेवायोजन के लिए आवेदन करने के लिए नियत समय सीमा से किसी विशिष्ट मामले में असम्यक् किठनाई होती है वहाँ वह अपेक्षाओं को, जिन्हें वह मामले में न्यायसंगत और साम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिए आवश्यक समझे, अभिमुक्त या शिथिल कर सकती है:

परन्तु यह और कि उपर्युक्त परन्तुक के प्रयोजन के लिए सम्बन्धित व्यक्ति कारणों को स्पष्ट करेगा और आवेदन करने के लिए नियत समय सीमा के अवसान के पश्चात सेवायोजन के लिए आवेदन करने में विलम्ब के कारण के सम्बन्ध में ऐसे विलम्ब के समर्थन में आवश्यक अगिलेखों/ सबूत सहित लिखित में समुचित औचित्य देगा और सरकार विलम्ब के कारण के लिए सभी तथ्यों पर विचार करते हुए समुचित निर्णय लेगी।

- (2) जहाँ तक सम्भव हो, ऐसा सेवायोजन उसी विभाग में दिया जाना चाहिए, जिसमें मृत सरकारी सेवक अपनी मृत्यु से पूर्व सेवायोजित था।
- (3) उपनियम (1) के अधीन की गयी प्रत्येक नियुक्ति, इस शर्त के अधीन होगी कि उपनियम (1) के अधीन नियुक्त व्यक्ति, मृतक सरकारी सेवक के परिवार के अन्य सदस्यों का अनुरक्षण करेगा जो कि स्वयं का अनुरक्षण करने में असमर्थ है और उक्त मृत सरकारी सेवक पर उसकी मृत्यु के ठीक पूर्व आश्रित थे।
- (4) जहाँ उपनियम (1) के अधीन नियुक्त व्यक्ति, किसी ऐसे व्यक्ति का अनुरक्षण करने में उपेक्षा या इनकार करता है जिसके प्रति अनुरक्षण के लिए वह उपनियम (3) के अधीन उत्तरदायी है तो उसकी सेवायें, समय–समय पर यथा

#### स्तम्भ-2

#### एतदद्वारा प्रतिस्थापित नियम

(तीन) सरकारी सेवक की मृत्यु के दिनांक के पाँच वर्ष के भीतर सेवायोजन के लिए आवेदन करता है:

परन्तु जहाँ राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि सेवायोजन के लिए आवेदन करने के लिए नियत समय सीमा से किसी विशिष्ट मामले में असम्यक् किठनाई होती है वहाँ वह अपेक्षाओं को जिन्हें वह मामले में न्याय—संगत और साम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिए आवश्यक समझे, अभिमुक्त या शिथिल कर सकती है:

परन्तु यह और कि उपर्युक्त परन्तुक के प्रयोजन के लिए सम्बन्धित व्यक्ति कारणों को स्पष्ट करेगा और आवेदन करने के लिए नियत समय सीमा के अवसान के पश्चात सेवायोजन के लिए आवेदन करने में विलम्ब के कारण के सम्बन्ध में ऐसे विलम्ब के समर्थन में आवश्यक अभिलेखों / सबूत सहित लिखित में समुचित औचित्य देगा और सरकार विलम्ब के कारण के लिए सभी तथ्यों पर विचार करते हुए समुचित निर्णय लेगी।

- (2) जहाँ तक सम्भव हो, ऐसा सेवायोजन उसी विभाग में दिया जाना चाहिए, जिसमें मृत सरकारी सेवक अपनी मृत्यु से पूर्व सेवायोजित था।
- (3) उपनियम (1) के अधीन की गयी प्रत्येक नियुक्ति, इस शर्त के अधीन होगी कि उपनियम (1) के अधीन नियुक्त व्यक्ति, मृतक सरकारी सेवक के परिवार के अन्य सदस्यों का अनुरक्षण करेगा जो कि स्वयं का अनुरक्षण करने में असमर्थ हैं और उक्त मृत सरकारी सेवक पर उसकी मृत्यु के ठीक पूर्व आश्रित थे।
- (4) जहाँ उपनियम (1) के अधीन नियुक्त व्यक्ति, किसी ऐसे व्यक्ति का अनुरक्षण करने में उपेक्षा या इनकार करता है जिसके प्रति अनुरक्षण के लिए वह उपनियम (3) के अधीन उत्तरदायी है तो उसकी

#### स्तम्भ-1

#### विद्यमान नियम

संशोधित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के अनुसरण में समाप्त की जा सकती हैं।

#### रतम्भ-2

#### एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम

सेवायें, समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के अनुसरण में समाप्त की जा सकती हैं।

> आज्ञा से, राजीव कुमार, प्रमुख सचिव।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 6/XII/73/Ka-2-T.C-IV, dated January 22, 2014:

#### No.6/XII/73/Ka-2-T.C-IV

#### Dated Lucknow, January 22, 2014

In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the Governor is pleased to make the following rules with a view to amending The Uttar Pradesh Recruitment of Dependants of Government Servants Dying in Harness Rules, 1974:

#### THE UTTAR PRADESH RECRUITMENT OF DEPENDANTS OF GOVERNMENT SERVANTS DYING IN HARNESS (ELEVENTH AMENDMENT) RULES, 2014

1.(1) These rules may be called The Uttar Pradesh Recruitment of Dependants of Government Servants Dying in Harness (Eleventh Amendment) Rules, 2014.

Short title and commencement

- (2) They shall come into force at once.
- 2. In the Uttar Pradesh Recruitment of Dependants of Government Servants Dying in Harness Rules, 1974, for existing rule 5 set out in Column-1 below, the rule as set out in Column-2 shall be substituted, namely:-

Substitution of rule 5

# COLUMN-1

#### Existing rule

5. (1) Recruitment of a member of the family of the deceased—In case a Government servant dies in harness after the commencement of these rules, and the spouse of the deceased Government servant is not already employed under the Central Government or a State Government or a Corporation owned or controlled by the Central Government or a State Government, one member of his family who is not already employed under the Central Government or a State Government or a Corporation owned or controlled by the Central Government or a State Government shall, on making an

#### COLUMN-2

#### Rule as hereby substituted

5. (1) Recruitment of a member of the family of the deceased— In case a Government servant dies in harness after the commencement of these rules, and the spouse of the deceased Government servant is not already employed under the Central Government or a State Government or a Corporation owned or controlled by the Central Government or a State Government, one member of his family who is not already employed under the Central Government or a State Government or a Corporation owned or controlled by the Central Government or a State Government shall, on making an

#### COLUMN-1

#### Existing rule

application for the purpose, be given a suitable employment in Government Service on a post except the post which is within the purview of the Uttar Pradesh Public Service Commission, in relaxation of the normal recruitment rules if such person-

(i) fulfils the educational qualifications prescribed for the post:

Provided that in case appointment is to be made on a post for which typewriting has been prescribed as an essential qualification and the dependent of the deceased Government servant does not possess the required proficiency in typewriting, he shall be appointed subject to the condition that he would acquire the requisite speed of 25 words per minute in typewriting well within one year and if he fails to do so, his general annual increment shall be withheld and a further period of one year shall be granted to him to acquire the requisite speed in typewriting and if in the extended period also he again fails to acquire the requisite speed in typewriting, his services shall be dispensed with.

#### COLUMN-2

#### Rule as hereby substituted

application for the purpose, be given a suitable employment in Government Service on a post except the post which is within the purview of the Uttar Pradesh Public Service Commission, in relaxation of the normal recruitment rules if such person-

(i) fulfils the educational qualifications prescribed for the post:

Provided that in case appointment is to be made on a post for which typewriting has been prescribed as an essential qualification and the dependent of the deceased Government servant does not possess the required proficiency in typewriting, he shall be appointed subject to the condition that he would acquire the requisite speed of 25 words per minute in typewriting well within one year and if he fails to do so, his general annual increment shall be withheld and a further period of one year shall be granted to him to acquire the requisite speed in typewriting and if in the extended period also he again fails to acquire the requisite speed in typewriting, his services shall be dispensed with:

Provided further that in case appointment is to be made on a post for which the knowledge of computer operation and typewriting has been prescribed as an essential qualification and the dependent of the deceased Government servant does not possess the required proficiency in computer operation and typewriting, he shall be appointed subject to the condition that he would acquire the 'CCC' certificate in computer operation awarded by the DOEACC Society or a certificate equivalent thereto from an Institution recognised by the Government together with the required speed of 25 words per minute in typewriting well within one year and, if he fails to do so, his general annual increment shall be withheld and a further period of one year shall be granted to him to acquire the required certificate in computer operation and the required speed in typewriting and if in the extended period also he again fails to acquire the required certificate in computer operation and the required speed in typewriting, his services shall be dispensed with.

#### COLUMN-1

#### Existing rule

- (ii) is otherwise qualified for Government service, and
- (iii) makes the application for employment within five years from the date of the death of the Government servant:

Provided that where the State Government is satisfied that the time limit fixed for making the application for employment causes undue hardship in any particular case, it may dispense with or relax the requirement as it may consider necessary for dealing with the case in a just and equitable manner:

Provided further that for the purpose of the aforesaid proviso, the person concerned shall explain the reasons and give proper justification in writing regarding the delay caused in making the application for employment after the expiry of the time limit fixed for making the application for employment along with the necessary documents/ proof in support of such delay and the Government shall, after taking into consideration all the facts leading to such delay, take the appropriate decision.

- (2) As far as possible, such an employment should be given in the same department in which the deceased Government servant was employed prior to his death.
- (3) Every appointment made under sub-rule (1) shall be subject to the condition that the person appointed under sub-rule (1) shall maintain other members of the family of deceased Government servant, who were dependent on the deceased Government servant immediately before his death and are unable to maintain themselves.
- (4) Where the person appointed under sub-rule (1) neglects or refuses to maintain a person to whom he is liable to maintain under sub-rule (3), his services may be terminated in accordance with the Uttar Pradesh Government Servant (Discipline and Appeal) Rules, 1999, as amended from time to time.

#### COLUMN-2

#### Rule as hereby substituted

- (ii) is otherwise qualified for Government service, and
- (iii) makes the application for employment within five years from the date of the death of the Government servant:

Provided that where the State Government is satisfied that the time limit fixed for making the application for employment causes undue hardship in any particular case, it may dispense with or relax the requirement as it may consider necessary for dealing with the case in a just and equitable manner:

Provided further that for the purpose of the aforesaid proviso, the person concerned shall explain the reasons and give proper justification in writing regarding the delay caused in making the application for employment after the expiry of the time limit fixed for making the application for employment along with the necessary documents/ proof in support of such delay and the Government shall, after taking into consideration all the facts leading to such delay, take the appropriate decision.

- (2) As far as possible, such an employment should be given in the same department in which the deceased Government servant was employed prior to his death.
- (3) Every appointment made under sub-rule (1) shall be subject to the condition that the person appointed under sub-rule (1) shall maintain other members of the family of deceased Government servant, who were dependent on the deceased Government servant immediately before his death and are unable to maintain themselves.
- (4) Where the person appointed under subrule (1) neglects or refuses to maintain a person to whom he is liable to maintain under sub-rule (3), his services may be terminated in accordance with the Uttar Pradesh Government Servant (Discipline and Appeal) Rules, 1999, as amended from time to time.

By order,
RAJIV KUMAR,
Pramukh Sachiv.

Sunger and the second second

· .